

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 12 जनवरी 2026—पौष 22, शक 1947

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2026

TRP-0057-2025-Sec-1-आठ-(TRP).— मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 200 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 22-71-2021-आठ, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च, 2023 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सूची में,—

1. अनुक्रमांक 20 में, अंत में, चिन्ह “।” के स्थान पर, चिन्ह “,” स्थापित किया जाए.
2. अनुक्रमांक 20 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“21. परिवहन विभाग के समस्त प्रधान आरक्षक.”।

TRP-0057-2025-Sec-1-VIII (TRP) .— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 200 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendments this department's Notification No.F. 22-71-2021-VIII, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, dated 6th March, 2023, namely :—

AMENDMENTS

In the said notification, in the list,—

1. In serial number 20, at the end, for the symbol".", the symbol "," shall be substituted.
2. After serial number 20, the following serial number shall be added, namely :—
"21. All Head Constables of the Transport Department."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष सिंह, सचिव.